राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5288/2022

सुनीता कुमारी जाटव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मानसरोवर, अग्रवाल फार्म, जयपुर।
5. अजय कुमार, प्रिन्सिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुर्गा का बास, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.10.2022
आदेश की दिनांक : 17.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नितिन सिनसिनवार, अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी सं. 5 की ओर से : श्री बी.बी. एल शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाध्यापिका के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मानसरोवर जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय दोसारा, फागी जिला जयपुर में बिना किसी प्रशासनिक कारणों के प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित (Accommodate) करने उद्देश्य से दुरस्थ स्थान पर 60 कि.मी. दूर कर दिया गया है तथा आदेश दिनांक 12.10.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है, जो विधि–विरूद्ध व मनमाना है। अपीलार्थी एकल अविवाहित महिला है तथा अपीलार्थी के वयोवृद्ध माता–पिता है, जो गंभीर नेत्र रोग से ग्रसित है तथा दोनो की आंख लगभग दृष्टिहीन की श्रेणी में आने से पूर्णतया अपीलार्थी के ऊपर आश्रित है। उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा

परिवार में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। अपीलार्थी स्वयं गंभीर न्यूरों संबंधित बीमारी वर्टिगो, स्पोन्टेलाईटिस तथा बी.पी. हाईपर टेन्शन से पीड़ित है (अनुलग्नक–4)।

3. अतः अपीलार्थी अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 11.10.2022 (अनुलग्नक–1) तथा कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 12.10.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को प्रधानाध्यापिका के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मानसरोवर जिला जयपुर में रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनु ीलन कर मनन किया।
5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये स्वयं अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 3 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश ैचमांपदह व्तकमत) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य